न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 168/25 (223 आरटीए)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/271

उनवान

चेतराम पुत्र श्री करन सिंह, जाति जाट निवासी ग्राम बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. दिगम्बर पुत्र नारायन
2. पुष्पेन्द्र पुत्र नारायन
3. सतेन्द्र पुत्र नारायन
4. सरला पुत्री नारायन
5. सुखवीरी पत्नी नारायन
6. जगवीरी पत्नी जहारिया
7. प्रमोद पुत्र जहारिया
8. विनोद पुत्र जहारिया
9. पप्पी पुत्री जहारिया
10. रविन्द्र पुत्र श्रीभान
11. बृजेन्द्र पुत्र श्रीभान
12. कर्मवीर पुत्र जोगेन्द्र सिंह
13. भीमसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
14. श्यामवीर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
15. सुरेन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
16. अमर सिंह पुत्र इन्दर सिंह
17. राजवीर पुत्र इन्दर सिंह
18. बृजेन्द्र सिंह पुत्र इन्दर सिंह
19. चन्द्रवती पत्नी इन्दर सिंह
20. कृपाल पुत्र भगवान सिंह
21. जीत सिंह पुत्र भगवान सिंह
22. मनवीर पुत्र भगवान सिंह

समस्त जातियान जाट, निवासीयान ग्राम बैलारा कला, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..........रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 15/2021 उनवान चेतराम बनाम दिगम्बर में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2025 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर, दावा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट्स श्री कृष्ण कुमार सिंघल।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 10 श्री विजय सिंह कुन्तल।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक : 06.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर द्वारा मु.स. 15/2021 उनवान चेतराम बनाम दिगम्बर में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2025, दावा प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के विरुद्ध पेश की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी वर्णित खण्ड सं. 1 वादपत्र में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी क्रमशः 0.12 हैक्टर व 0.05 है0 के सहखातेदार काश्तकार काबिज हैं सम्पूर्ण पर प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज गलत व निरस्तनीय हैं तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी का प्रतिवादीगण बेचान न करें, रहन, वय, मुन्तकिल न करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया गया तथा वादी द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र का जबाब पेश किया गया। उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2025 को प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनकर प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 10 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह कुन्तल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का दावा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर खारिज किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में दर्ज तथ्य दावा के आधार अभिवचन के विपरीत दर्ज किये गये हैं। रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा उठाये गये तथ्यों का निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर ही किया जा सकता है समस्त तथ्य विधि एवं साक्ष्य का मिश्रित बिन्दू है। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा वादपत्र में जबाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में जबाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् तनकीयात के आधार पर साक्ष्य अभिलिखित होने के उपरान्त ही विध अनुसार निर्णय पारित किया जा सकता था। प्राथमिक स्तर पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य पर गौर न कर निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा खारिज करते समय अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावे के कथनों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट. के तहत घोषणात्मक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का वादपत्र प्रस्तुत किया था कानूनन खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत्

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दावे को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है प्रतिवादीगण द्वारा उठाये गये समस्त ऐतराज को प्रतिवादीगण अपने जबाब दावा में उठा सकता है। वैसे भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की शक्तियां पक्षकार को प्राप्त नहीं है। इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर न करते हुए दावा खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी गलती की है। अपीलान्ट/वादी द्वारा घोषणात्मक वादपत्र द्वारा बन्दोवस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कर अपने कमी रकबा 0.17 हैक्टे. की पूर्ति कर घोषणात्मक दादरसी चाही गई है। उक्त तथ्य वादपत्र द्वारा स्पष्ट प्रमाणित है एवं यह तथ्य भी स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण का रकबा गत रकबा के अनुपात में वेशी दर्ज है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 12 का रकबा हाल खसरा नम्बर 267, 268, 269 में गत खसरा नम्बर 155 मिन से बनना मिलान क्षेत्रफल में दर्शित है परंतु गत नक्शा व हाल नक्शा का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बर 269 में अपीलान्ट/वादी का 0.17 हैक्ट. रकबा शामिल है एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का गत खसरा नम्बर 155 का रकबा अन्य हाल खसरा नम्बर 255/0.34 हैक्टे. में भी गत खसरा नम्बर 155 का रकबा है। जो वादपत्र में साक्ष्य उपरान्त ही निर्णीत किया जा सकता था इस प्रकार स्पष्ट था कि रेस्पोडेन्ट्स का हाल रकबा गत रकबा से वेशी है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 12 सीमा को मृतक होने के आधार पर अपीलान्ट के वादपत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं. 12 सीमा की मृत्यु हो जाने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट निवेदन किया था कि सीमा की मृत्यु लाबल्द हो चुकी है उसके वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर है इसलिए सीमा का नाम वादपत्र से तर्क किया जावे। उक्त तथ्य पत्रावली में मौजूद है फिर भी न्यायालय तहत द्वारा इस तथ्य पर ध्यान न देकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2024 RBJ 80, 2024 DNJ (Rev) 1186, 2025 DNJ(Rev) 359, 2023 DNJ (Rev) 1203, 2024 DNJ (Rev) 1286, 2024 DNJ (Rev.) 52 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2025 निरस्त फरमाया जावे एवं विधि सम्मत निर्णय हेतु वादपत्र को रिमाण्ड किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 267/0.21, 268/0.01, 269/0.34 हैक्टे0 कुल किता 3 रकबा 0.56 हैक्ट0 वाके ग्राम बैलारा कलां तहसील कुम्हेर में स्थित है। जो कि गत खसरा नम्बर 155 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा से बनाये गये हैं। गत का रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा अर्थात 55 एयर रकबा होता है इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादीगण का हाल एवं गत रकबा सही प्रकार से बराबर है जबकि वादी/अपीलान्ट द्वारा पेश दावा की मद सं. 2 में हाल नम्बरा 267/0.21, 268/0.01, 269/0.34 का कुल रकबा 0.66 अंकित किया गया है जो बिल्कुल गलत है तथा गत रकबा भी 2 बीघा 8 बिस्वा दर्शाया गया है, वह भी गलत है। यदि विवादित आराजी के संबंध में मिलान क्षेत्रफल में रकबा नहीं हो तो जमाबन्दी देखी जाएगी। जमाबंदी सम्वत 2013 के अनुसार 3 बीघा 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बिस्वा है जिसका रकबा 0.66 होता है। अपील में जो बहस की गई है वह दावे के बाहर की गयी है। जब रकबा बढ़ा हुआ नहीं है तो अपीलान्ट को Cause of Action उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज किया जा सकता है। अपीलान्ट ने मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश किया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित किया है। जब न्यायालय में मृत्यु का तथ्य आ गया तो न्यायालय मृतक ही लिखेगा। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दावे को ही देखकर निर्णय होगा तो साख्य में जाने की आवश्यकता ही नहीं है तथा अपील में क्या अंकित किया गया है उसे भी नहीं देखा जायेगा। जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट का 3 बीघा 8 बिस्वा ही है जो 66 एयर होता है। खसरा नम्बर 255/0.34 एयर का है जिसमें 155 का रकबा भी मिला हुआ है। अपील में यह खसरा नम्बर है लेकिन दावे में नही है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2018(I) RRT 534, 2017(II) Raj. CT 511 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.10.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 28.10.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट वादी श्री चेतराम पुत्र करनसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर अभिवचन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 269/0.34 एवं खसरा नम्बर 270/0.50 वाके ग्राम बैलारा कला तहसील कुम्हेर में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी क्रमशः 0.12 हैक्टर व 0.05 हैक्टर के सह–खातेदार काश्तकार काबिज हैं सम्पूर्ण पर प्रतिवादीगण के नाम गलत हैं एवं काबिल निरस्तनीय हैं। प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 के हाल आराजी खसरा नम्बर 267/0.21, 268/0.01, 269/0.34 किता 3 रकबा 0.66 हैक्टर गत खसरा 155 मि0 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से बनाये गए हैं जो गत के मुकाबले 0.18 हैक्टर ज्यादा है एवं प्रतिवादीगण 13 से 16 के हाल खसरा नम्बर 270/0.50 जो गत खसरा नम्बर 158 मि0 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से बना है, से रकबा लेकर प्रार्थी/वादी के रकबे की पूर्ति की जा सकती है। आगे वादी ने अंकन किया है कि हाल खसरा नम्बर 267/0.21, 268/0.01, 269/0.34 किता 3 रकबा 0.66 है साबिक खसरा नम्बर 155 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से बने हैं, साबिक के मुकाबले 0.18 हैक्टर ज्यादा है। इसी प्रकार 270/0.50 जो 158 मि0 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा है के मुकाबले 0.10 हैक्टर ज्यादा है। वादी एवं प्रतिवादीगण तरतीवी के हाल खसरा नम्बर 240/0.23, 242/0.22, 243/0.34, 244/0.25 किता 4 रकबा 1.04 हैक्टर वाके ग्राम बैलारा कलां गत खसरा नम्बर 224 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा से बने हैं तथा हाल खसरा नम्बर 254/0.63 गत खसरा नम्बर 156 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 157 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से बने है। इस प्रकार प्रार्थी/वादी के रकबे में साबिक के मुकाबले 0.17 हैक्ट. की कमी हुई है। इसलिए वादी यह घोषणा कराना चाहता है कि हाल खसरा नम्बर 269/0.34 में 0.12 है0 रकबा कम कर एवं खसरा नम्बर 270/0.50 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर रकबा कम कर प्रार्थी/वादी के हाल खसरा नम्बर 240/0.34 हैक्टर में 0.03 हैक्टर जोड़कर 0.37 हैक्टर व खसरा नम्बर 242/0.22 में 0.

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

03 हैक्टर जोड़कर 0.25 हैक्टर व 243/0.34 हैक्टर में 0.03 हैक्टर जोड़कर 0.37 हैक्टर व खसरा नम्बर 244/0.25 हैक्टर में 0.03 हैक्टर जोड़कर 0.28 हैक्टर व खसरा नम्बर 254/0. 62 हैक्टर में 0.05 हैक्टर जोड़कर 0.67 हैक्टर दर्ज किया जाना चाहिए जिससे वादी के रकबे की पूर्ति हो सके। इस प्रकार अपीलान्ट ने अपने वाद में यह अनुतोष चाहा कि विवादित आराजी वर्णित खण्ड सं. 1 वादपत्र में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी क्रमशः 0.12 हैक्टर व 0.05 हैक्टर के सहखातेदार काश्तकार काबिज है सम्पूर्ण पर प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज गलत व निरस्तनीय है तथा स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि विवादित आराजी का प्रतिवादीगण बेचान न करें, रहन–बय–मुन्तकिल न करें मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। **उक्त वाद पेश होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 05.04.2021 को नियत की गई। जिसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया तथा वादी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाब भी पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र पेश होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनकर प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज कर दिया।**

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निम्न प्रकार है:–

11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा : –

(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है :

परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण' से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।

(ङ) जहां वह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है;

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कोई भी वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत तभी खारिज किया जा सकता है जब वादपत्र में वर्णित आधारों में से कोई एक आधार स्पष्ट होता हों। अब इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा पेश वाद में वाद हेतुक प्रकट होता है या नहीं?

वादी ने यह अभिवचन किया है कि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हाल खसरा नम्बर 240/0.23, 242/0.22, 243/0.34, 244/0.25 किता 4 रकबा 1.04 हैक्टर वाके ग्राम बैलारा कलां गत खसरा नम्बर 224 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा से बने हैं तथा हाल खसरा नम्बर 254/0.63 गत खसरा नम्बर 156 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 157 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से बने है। इस प्रकार वादी के रकबे में गत के मुकाबले 0.17 हैक्टर की कमी हुई है।

अपीलान्ट वादी द्वारा पेश वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसने प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 हाल खसर नम्बर 267/0.21, 268/0.01 एवं 269/0.34 किता 3 रकबा 0.56 हैक्टर गत खसरा नम्बर 155 मि0 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से बनने बताकर प्रतिवादीगण सं. 1 से 12 का रकबा गत के मुकाबले 0.18 हैक्टर ज्यादा होना अंकित किया है एवं प्रतिवादी सं. 13 लगायत 16 के हाल खसरा नम्बर 270/0.50 को गत खसरा नम्बर 158 मि0 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से बनना अंकित किया है जो साबिक के मुकाबले 0.10 हैक्टर ज्यादा होना अंकित किया है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत 2018(1) RRT 534 जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि **"आदेश 7 नियम 11 वाद पत्र खारिज करना– प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों कि अविवादित हैं, को भी इस प्रक्रम पर देखा जा सकता है।"** लेकिन हमारा मत है कि इस प्रकार के वाद प्रकरणों में केवल मात्र दस्तावेजों को देखकर ही सरसरी तौर पर निर्णय पारित नही किया जा सकता है। मुख्य रुप से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते समय केवल आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को ही अंकित करते हुए कि प्रतिवादीगण के हाल खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.66 हैक्टर दर्शाया गया है जो कि गलत है तथा तथा गत रकबा भी 2 बीघा 8 बिस्वा दर्शाया है वह भी गलत है एवं वादी ने प्रतिवादी सं. 12 मृतक के खिलाफ दावा पेश किया है। इसलिए दावा मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। जबकि वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाब पेश कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण के नम्बरान गत खसरा नम्बरान 155 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से बना हैं जो गत के मुकावले 0.18 हैक्टर ज्यादा है। प्रतिवादीगण अपने प्रार्थना–पत्र में गत खसरा नम्बर 155 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा गलत दर्शाया है। वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर का रकबा 0.56 हैक्टर की जगह 0.66 हैक्टर लिखना टाइपिस्ट भूल है। मृतक का नाम राजस्व अभिलेख में था इसलिए भूलवश पार्टी बना दिया। जबकि मृतक के वारिस पूर्व से अभिलेख पर हैं मृतक को तर्क करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जा चुका है। इस प्रकार जैसा अधीनरथ न्यायालय ने उक्त आधार वर्णित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया है वे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधारों में से किसी आधार के अन्तर्गत नहीं आते हैं। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आधार पर, लिपिकीय त्रुटि एवं मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाना एवं उसे तर्क करने का प्रार्थना–पत्र पेश किए जाने के बावजूद उस पर कोई निर्णय नहीं कर सीधे ही प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में उभयपक्षों की साक्ष्य के साथ साबिक खसरा नम्बरान साबिक नक्शा में जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल नक्शा में कौनसे खसरा नम्बरान बनाये गये हैं। उनका रकबा कितना है एवं वह साबिक अनुसार ही सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही दर्ज है या नहीं तथा मौके पर साबिक नक्शा के साबिक खसरा नम्बर एवं साबिक खाता अनुसार भौतिक कब्जा किसका है। साथ ही साबिक नक्शा में जिस जगह साबिक खसरा नम्बर स्थित है उसकी जगह हाल नक्शा में ही हाल खसरा नम्बर बना है या नहीं? यदि नही तो किस–किस हाल खसरा नम्बर के नक्शें मे साबिक खसरा नम्बर का रकबा घटा या बढ़ा हैं बाबत् मौके रिकार्ड रिपोर्ट राजस्व अधिकारी से प्राप्त कर पेश दस्तावेजी साक्ष्य में तुलनात्मक विश्लेषण करके ही विधिवत रुप से निर्णय पारित किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रतिवादी सं. 1 दिगम्बर व प्रतिवादी सं. 9 रविन्द्र सिंह जो प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 12 से संबंधित है के द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर सम्पूर्ण दावा ही खारिज कर दिया जो उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विधिसम्मत नहीं है। ऐसे मामले में वादपत्र वादेतर आदि के आधार पर विवाद्यक विरचित किए जाने चाहिए और तत्पश्चात् साक्ष्य आदि की विवेचना के पश्चात् ही निर्णय किया जाना चाहिए। विवाद्यक विरचित करके दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही निर्णय पारित किया जा सकता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट उपर्युक्त विवचेन के क्रम में आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2025 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य, सबूत लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।
10. निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर